यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश के अवधि 04/2010 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रविशंकर एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.16 से 16.09.16 श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में तक संपादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं नवीन कुमार मौर्य, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 0707.14 से 18.07.14 तक श्री .... के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 2012–13 से 2013–14 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1.	श्री सी.एस. रजवार	परियोजना प्रबन्धक	03.10.2013 से 02.08.2014
2.	श्री अनुराम रतन	परियोजना प्रबन्धक	02.08.2014 से वर्तमान तक

व

2. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
		भाग–2 अ	भाग–2 ब	स्टैन
01	14/2007–08	01	शून्य	–
02	44/2014–15	01 एवं 02	शून्य	–

3. सतत् अनियमिततायें – शून्य

4 . अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – (i) 31 मार्च 2016 का बैंक समाधान विवरण
(ii) ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, रानी पोखरी के निर्माण सम्बन्धी अभिलेख।

5. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्राम्भिक अवशेष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत		अवशेष
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	
2013—14	—	91.07	91.07	1983.86	1247.36	736.50
2014—15	736.50	93.52	93.52	1602.73	1614.20	725.03
2015—16	725.03	91.32	91.32	2209.58	2026.58	908.03

भाग–दो 'अ'

प्रस्तर 1 : नियमों के विपरीत कार्यादेश पर निर्माण कार्य संपादित कर ` 153.51 लाख का अनियमित व्यय किया।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वि.आ.सा.नि.) अनुभाग–7 संख्या–XXVII (7)/2008, देहरादून, दिनांक 5 जून 2015 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में संशोधित नियम–39 के द्वारा आपात स्थिति में बिना निविदा। कार्यादेश (Work order) के माध्यम से ` 5.00 लाख (पांच लाख) तक के कार्य कराये जा सकते है जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए।

सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतर्गत अर्द्धकुम्भ मेला 2016 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिवहन विभाग के अस्थायी बस स्टेण्डों के निर्माण हेतु ` 245.00 लाख की प्रस्तुत विस्तृत आंकलन की तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा ` 219.30 लाख की तिथि स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष कार्यदीय संस्था, परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निर्माण निगम, ऋषिकेश को ` 153.51 लाख अवमुक्त किया गया (फरवरी 2016) लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया गया की उपरोक्त निर्माण कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये सभी कार्य उक्त नियमों के विपरीत कार्यादेश (Work order) पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया जबकि अधीक्षण अभियंता, तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा, कार्यदीय संस्था (परियोजना प्रबंधक, निर्माण शाखा, पेयजल निर्माण निगम, ऋषिकेश) को कार्यादेश पर निर्माण कराये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए स्पष्टीकरण की मांग (अप्रैल 2016) की थी इसके बावजूद भी कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत बिना निविदा आमंत्रित किये सभी कार्य कार्यादेश पर संपादित कर ` 153.51 लाख का ना सिर्फ अनियमित व्यय किया गया बल्कि ` 153.51 लाख व्यय के उपरानत 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण बताया गया जबकि कुल कार्यों हेतु ` 219.30 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा दोषपूर्ण डी.पी.आर. तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निर्माण निगम, ऋषिकेश द्वारा बताया गया कि महाप्रबन्धक निर्माण विंग, देहरादून के पत्रांक संख्या

4796/अर्द्धकुम्भ मेला 2016/39 बिनांक 31.12.15 के द्वारा कार्य निर्देशिका 2015 के अध्याय–3 के प्रस्तर 3.2 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त कार्य सम्पादित कराया गया। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि उक्त निर्देशिका के अध्याय–3 के प्रस्तर 3.2 में समानय परिस्थिति में कार्यादेश पर कार्य कराये जाने का कोई भी प्राविधान नहीं है तथा शासनादेश की स्वीकृत शर्तों के अनुसार कार्यो को कार्यान्वित करने में हर हाल में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था जिसका इकाई द्वारा अनुपालन नहीं किया गया ना ही अधीक्षण अभियंता, तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा कार्यादेश पर निर्माण कराये जाने पर स्पष्टीकरण मांग की गयी थी जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्यों को कार्यान्वित करने में ना सिर्फ उक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया बलिक तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा इंगित वित्तीय अनियमितताओं को नजर अदांज कर, निविदा आमंत्रित न कर कार्यादेश पर सम्पादित कर अनियमित व्यय किया गया।

इस प्रकार नियमों के विपरीत कार्यादेश (Work order) पर निर्माण कार्य सम्पादित कर ` 153.51 लाख का अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 01 : ठेकेदार को नियमविरूद्ध अदेय अग्रिम ` 50 लाख का भुगतान किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 48 के तहत, साधारणतया ठेकेदार को अग्रिम दिया जाना वर्जित तथा ठेकेदार द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के सापेक्ष ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों अथवा प्राविधानो के अधीन कुछ पूर्व से परिभाषित उपभोगों में अग्रिम अपवाद स्वरूप अनुमन्य किये जा सकते है जैसेः (क) संचालन अग्रिम (मोबिलाइजेन्स एडमान्स) (ख) उपस्कर एवं मशीन हेतु अग्रिम (ग) निर्माण कार्य मे तीव्रता लाने हेतु अग्रिम लेकिन प्रदत्त अग्रिम, धनराशि के समायोजन एवं कटौती तक ब्याज की शर्त के अधिन स्वीकृत किये जायेगे लेकिन अग्रिम की वसूली या समायोजन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारन्टी अथवा अन्य धरोहर राशि ली जायेगी। यदि बैक गारन्टी ली जाये तो उसे स्वीकार करने के पूर्व बैक गारन्टी की अधिप्रमाणिकता एवं वैधता की अवधि की जांच की जानी अपेक्षित होंगी।

संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 के अर्न्तगत अर्द्धकुम्भ 2016 हेतु, अद्धसैनिक बलों हेतु आवागमन शिविर तथा पुरूष बैरक का निर्माण कराने हेतु चयनित ठेकेदार मेसर्स राकेश कुमार के साथ अनुबंध निष्पादित किया निष्पादित अनुबधं सं 02/G.M. अर्द्धकुम्भ वर्ष 2015/16 के तहत अल्पकालीन संविधा के तहत कराये जा रहें निर्माण कार्यो के लिए जुलाई 2015 में ` 25 लाख धनराशि की अग्रिम एवं पुनः नवम्बर 2015 में अग्रिम स्वीकृत किया गया, इस प्रकार, कुल ` 50 लाख की अग्रिम अल्पकालीन निविदा हेतु स्वीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया कि ठेकेदार को प्रदत्त अग्रिम, ना तो मोबिलाइजेशन एडमांस प्रदान किया गया था ना ही उपस्कर एवं मशीन हेतु अग्रिम प्रदान किया गया था, बल्कि अल्पकालीन निविदा के अर्न्तगत निर्माण कार्य के लिए अदेय अग्रिम प्रदान किया गया था तथा प्रदत्त अग्रिम के एवज में ठेकेदार मेसर्स राकेश कुमार से ना तो बैक गारन्टी ली गयी ना ही ब्याज की धनराशि की वसूली की अर्द्धकुम्भ 2016 के अंतर्गत स्वीकृत अल्पकालीन निविदा हेतु निर्माण कार्य के लिए ` 50 लाख की अदेय अग्रिम प्रदान की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इगिंत किये जाने पर परियोजना प्रबधंक द्वारा अवगत कराया गया निर्धारित कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यो के सापेक्ष अग्रिम की धनराशि ठेकेदार के अनुरोध पर उपलब्ध करायी गयी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अल्पकालीन स्वीकृत निर्माण कार्य के अर्न्तगत अग्रिम उक्त नियमों के विपरीत स्वीकृत कर भुगतान किया गया तथा प्रदत्त अग्रिम पर ना तो ब्याज की वसूली की गयी ना ही अग्रिम के सापेक्ष बैक गांरटी ली गयी थी।

इस प्रकार ठेकेदार को नियम विरूद्ध कुल देय अग्रिम ` 50 लाख का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2 : बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्यो पर ` 15.47 करोड़ का अनिमियत व्यय किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड (VI) के नियम प्रस्तर 318 के अनुसार, कार्य शुरू करने से पहले प्राक्कलन के साथ तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है ताकि स्वीकृत धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा प्राक्कलनो की शुद्धता की जांच उचित सावधानी के साथ की जाती है लेकिन यह स्वीकृति/मंजूरी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के अनुरूप होगी जो इसकी करने का अधिकार रखता हो।

कार्यालय के सबंधित लेखा–अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया कि निम्निलिखित निर्माण कार्यो को पूर्ण कर ग्राहक विभाग को हस्तांतरित कर दिया परंतु तकनीकि स्वीकृति 8 वर्ष से 10 वर्ष के लम्बे अतंराल भी अप्राप्त थी जिसका विवरण निम्नवत् है–

क.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	हस्तांतरण की स्थिति
1.	चिड़ियापुर हरिद्वार में संयुक्त जांच चौकी का निर्माण	415.04	05.02.2009	100 प्रतिशत	हस्तांतरित
2.	नरसन हरिद्वार में संयुक्त जांच चौकी का निर्माण	377.11	29.04.2006	100 प्रतिशत	हस्तांतरित
3.	आशारोड़ी देहरादून मे संयुक्त जांच चौकी का निर्माण (अतिरिक्त कार्य)	255.12	19.08.2009	100 प्रतिशत	हस्तांतरित
4.	आशारोड़ी देहरादून में संयुक्त जांच चौकी का निर्माण	499.17	19.09.2008	100 प्रतिशत	हस्तांतरित
	कुल योग	**1546.74**			

उक्त निर्माण कार्यो को इकाई द्वारा बिना तकनीकि स्वीकृति प्राप्त किये ना सिर्फ निर्माण कार्य को प्रारंभ किया बल्कि सबंधित ग्राहक विभाग को हस्तांतरित किया गया परिणामस्वरूप उक्त प्रावधानित वित्तिय नियमों का उल्लंघन कर बिना तकनीकि स्वीकृति प्राप्त

किये उक्त निर्माण कार्यो को प्रारम्भ कर, कार्य पूर्ण किया गया इस प्रकार अनियमित रूप से उपरोक्त निर्माण कार्यो पर `15.47 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर परियोजना प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्यो के सापेक्ष शासन स्तर से प्रशासानिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत कार्य प्रारम्भ किये गये तथा पूर्ण कर ग्राहक विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी परंतु तकनीकि स्वीकृति हेतु पत्र महाप्रबधंक कार्यालय को प्रषित की गयी जिसकी स्वीकृति वर्तमान तक अपेक्षित है।

इस प्रकार, उक्त नियमों का उल्लंघन कर बिना तकनीकि स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्यो को प्रांरम्भ कर, कार्य पूर्ण कर, ग्राहक विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया,पंरतु कार्य स्वीकृति वर्ष से 8 वर्ष–10 वर्षो के लम्बे अंतराल के बाद भी तकनीकि स्वीकृति अप्राप्त की परिणामस्वरूप `15.47 करोड़ का बिना तकनीकि स्वीकृति के अनियमित व्यय प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 3 : नियमो के विपरित धनराशि `245.971 लाख खातों में अवरूद्ध रखना।

वित्तिय हस्तपुस्तिका Vol (VI) के पैरा 514 व 519 (ब) के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण कार्य हैं कि किसी कार्य के लेखा को यथाशीघ्र कार्य पूरा होने पर बन्द किया जाना चाहिए तथा निक्षेपण कार्य की स्थिति में किसी अप्रत्याशित जमा राशि के समर्पण के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश के निक्षेपण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखो की संमीक्षा में पाया गया कि सलंग्नक 'क' मे अंकित कार्यो को सम्बन्धित विभागों को निर्माण के बाद हस्तांतरित कर दिया गया है, परन्तु व्यय करने के बाद भी धनराशि उक्त कार्यो के सापेक्ष अवशेष है।

अवशेष धनराशि `245.971 लाख है जो कि उपरोक्त नियमानुसार ग्राहक विभाग को वापस किया जाना चाहिए था, जबकि यह धनराशि इकाई के खातो में अवशेष पड़ी है। इस प्रकार यह पैरा 514 व 519 (ब) का उल्लंघन है।

इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि लेखाबन्दी यथाशीघ्र कर दी जायेगी तथा अवशेष धनराशि एवं उपार्जित ब्याज की धनराशि सम्बन्धित विभाग को लौटा दी जायेगी।

अतः ` 245.791 लाख के कार्यो की लेखाबन्दी न करने तथा ब्याज की धनराशि सम्बन्धित विभाग को न लौटाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय परियेाजना प्रबन्धक, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र